भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1568

उत्तर देने की तारीख : 13.02.2025

सीजीटीएमएसई

1568. श्री जगन्नाथ सरकार:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले एमएसएमई की संख्या वर्षवार कितनी है;

(ख) एमएसएमई, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के अल्पविकसित जिलों में स्थित एमएसएमई के बीच क्रेडिट गारंटी योजनाओं के बारे में जागरूकता और पहुंच बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान सीजीटीएमएसई योजना के अंतर्गत पश्चिम बंगाल में एमएसएमई को कुल कितना ऋण संवितरित किया गया?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) और (ग): सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएसएसई) द्वारा कार्यान्वित क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएस) के अंतर्गत सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) को पिछले पांच वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल में दी गई क्रेडिट गारंटियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

सीजीटीएमएसई – अनुमोदित गारंटियां – पश्चिम बंगाल		
अवधि	**अनुमोदित गारंटियों की संख्या**	**अनुमोदित राशि (करोड़ रु. में)**
वित्त वर्ष 2019-20	37,667	2,398
वित्त वर्ष 2020-21	29,789	1,618
वित्त वर्ष 2021-22	37,033	2,887
वित्त वर्ष 2022-23	54,440	6,036
वित्त वर्ष 2023-24	1,06,073	11,887

(ख): पश्चिम बंगाल राज्य सहित देश भर में सूक्ष्म और लघु उद्यमों के मध्य क्रेडिट गारंटी स्कीम के बारे में जागरुकता और उनकी उस स्कीम तक पहुंच में वृद्धि करने हेतु कई कदम उठाए गए हैं जो निम्नानुसार हैं-

(i) सीजीटीएमएसई, स्टेकहोल्डरों जैसे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी), सदस्य ऋणदाता संस्थानों, एमएसएमई संघों, एमएसएमई मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रीय कार्यालयों आदि तथा संबंधित राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों के एमएसएमई/उद्योग विभागों के समन्वय से जागरुकता कार्यक्रमों का आयोजन करता है।

(ii) सीजीएस के अंतर्गत दिए जाने वाले ऋण को दिनांक 09.01.2017 को 1 करोड़ रु. से बढ़ाकर 2 करोड़ रु. कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त, संघीय बजट 2022-23 तथा 2023-24 में की गई घोषणा के अनुसार ऋण की घटी हुई लागत पर 2.00 लाख करोड़ रु. के अतिरिक्त ऋण को संभव बनाने हेतु सीजीटीएमएसई के कोष में 9,000 करोड़ रु. की राशि समाविष्ट की गई थी। सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम को दिनांक 01.04.2023 से नवीकृत किया गया था तथा गारंटी की उच्चतम सीमा को 2 करोड़ रु. से बढ़ाकर 5 करोड़ रु. कर दिया गया था। संघीय बजट 2025-26 में सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी कवरेज को 5 करोड़ रु. से बढ़ाकर 10 करोड़ रु. करने का प्रस्ताव किया गया है।

(iii) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार कम ऋण प्राप्त करने वाले चिह्नित जिलों (आईसीडीडी) में सूक्ष्म और लघु उद्यमों तक ऋण के प्रवाह को बढ़ाने के लिए सीजीटीएसएसई एजीएफ पर 10% छूट की पेशकश करता है तथा 5% अतिरिक्त गारंटी कवरेज प्रदान करता है।

(iv) अ.जा./अ.ज.जा. के स्वामित्व वाले लघु और सूक्ष्म उद्यमों, दिव्यांगों के स्वामित्व वाले लघु और सूक्ष्म उद्यमों, जेड प्रमणित सूक्ष्म और लघु उद्यमों, आकांक्षी जिलों में स्थित सूक्ष्म और लघु उद्यमों तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र (सिक्किम सहित), जम्मू और कश्मीर संघ-राज्य क्षेत्र तथा लद्दाख संघ-राज्य क्षेत्र में स्थित सूक्ष्म और लघु उद्यमों जैसी ऋण प्राप्त करने वाली विशेष श्रेणियों को दिए जाने वाले ऋण के मामलों में छूट देना शुरू किया गया।

(v) सीजीटीएसएसई के दिनांक 10.12.2024 की अधिसूचना के तहत महिलाओं के स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए गारंटी कवरेज को 85% से बढ़ाकर 90% कर दिया गया था।

(vi) सीजीटीएमएसई ने क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंतर्गत दिनांक 14.02.2024 को 'अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों (आईएमई) के लिए विशेष प्रावधान' की शुरुआत की। इस गारंटी में प्राथमिक सिक्यूरिटी की आवश्यकता के बिना 85% कवरेज के साथ 20 लाख रु. तक की क्रेडिट सुविधाओं को शामिल किया जाता है।

(vii) सीजीटीएमएसई असम, मणिपुर, मेघालय, तमिलनाडु, गोवा और पश्चिम बंगाल जैसी कुछ राज्य सरकारों के साथ मिलकर इन राज्यों में अवस्थित एमएसई के लिए वर्धित गारंटी कवरेज प्रदान करता है।

*****